

निरीक्षण प्रपत्र-001

नवीन महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन हेतु

सत्र.....

निरीक्षण आदेश क्रमांक व दिनांक.....

निरीक्षण दिनांक

(I) आवेदक समिति सम्बंधी विवरण

1. आवेदक समिति का नाम.....

2. पता.....

3. पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक

4. समिति के सचिव का नाम व पता.....

5. वर्तमान प्रबंध समिति की निर्वाचन तिथि.....

संलग्न करें :

(अ) समिति / टस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति

(ब) पंजीकृत विधान की प्रति

(स) पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबंध समिति की सूची की प्रति

(द) प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम पते, टेलीफोन नम्बर व्यवसाय की सूचना की सूची की प्रति

(II) प्रस्तावित महाविद्यालय सम्बंधी विवरण

1. प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम.....

संलग्न करें :

(अ) समिति टस्ट द्वारा नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति मय चलाये जाने वाले संकाय / विषय सूची की प्रति

नोट: प्रस्ताव में नवीन महाविद्यालय के स्थान, पते व विषयों का उल्लेख होना चाहिए।

2. पूर्ण पता.....

टेलीफोन नम्बर मय एस.टी.डी. कोड.....

फैक्स नम्बर.....

मोबाइल नम्बर.....

ई.मेल पता.....

3. प्रस्तावित महाविद्यालय का प्रकार - सामान्य स्नातक / विधि.....

(कृपया सम्बंधित को मार्क करें)

4. प्रस्तावित महाविद्यालय की श्रेणी - सह शिक्षा / महिला.....

(कृपया सम्बंधित को मार्क करें)

5. प्रस्तावित महाविद्यालय का क्षेत्र - पिछड़ा क्षेत्र / आरक्षित क्षेत्र.....

(देखें सूची परिशिष्ट)

संलग्न करें:

- (अ) पिछड़े क्षेत्र हेतु तहसील कार्यालय से जारी किये गये प्रमाण पत्र की प्रति
 (ब) परिशिष्ट में वर्णित सूची के अनुसार आरक्षित क्षेत्र हेतु जिला कलेक्टर अथवा एस.डी.एम. से आरक्षित विधानसभा क्षेत्र का प्रमाण पत्र की प्रति

6. प्राचार्य का नाम व पता.....

(III) आवेदन शुल्क सम्बंधी विवरण

1. आवेदन शुल्क राशि
 (विवरण शुल्क सहित)
2. डिमाण्ड डाफ्ट दिनांक.....
3. बैंक / शाखा.....

संलग्न करें:

- (अ) निदेशक कालेज शिक्षा, जयपुर के नाम जारी डिमाण्ड डाफ्ट की प्रति

(IV) एफ.डी.आर. राशि सम्बंधी विवरण

1. एफ.डी.आर. राशि.....अवधि.....
2. त्रमांक.....दिनांक.....
3. बैंक / शाखा.....

संलग्न करें:

- (अ) प्रस्तावित महाविद्यालय तथा संयुक्त निदेशक अनुदान कालेज शिक्षा जयपुर के संयुक्त नाम से जारी एफ.डी.आर. की प्रति

- (ब) यदि संस्था ने आवेदन के समय एफ.डी.आर. नहीं बनवाई है तो निरीक्षण के समय उन्हें प्रस्तुत करनी होगी। निरीक्षण अधिकारी मूल से मिलान कर पुष्टि करें।

(V) आधारभूत सुविधाओं सम्बंधी विवरण**(i) भूमि**

(कृपया सम्बंधित को मार्क करें)

1. क्या संस्था के पास स्वयं के नाम से पंजीकृत मापदण्डानुसार भूमि है।
 हाँ / नहीं.....
 (परिशिष्ट के अनुसार)
2. क्या संस्था ने मापदण्डानुसार भूमि पंजीकृत लीजडीड के आधार पर प्राप्त की है।
 हाँ / नहीं.....
 (परिशिष्ट के अनुसार)

संलग्न करें:

- (अ) संस्था की स्वयं के नाम से पंजीकृत भूमि के दस्तावेज की प्रति
 (ब) यदि भूमि लीज पर ली है तो संस्था के नाम से पंजीकृत लीजडीड की प्रति

3. भूमि का क्षेत्रफल
 (वर्गमीटर में)
4. क्या महाविद्यालय इसी भूमि पर है - हाँ / नहीं.....
 यदि नहीं तो महाविद्यालय से भूमि की दूरी

(ii) भवन

(कृपया सम्बंधित को मार्क करें)

1. क्या संस्था के पास स्वयं के नाम से मानदण्डानुसार पंजीकृत भवन है।
 हाँ / नहीं.....

(परिशिष्ट के अनुसार)

2. क्या संस्था के पास स्वयं के नाम से मानदण्डानुसार पंजीकृत लीजडीड के आधार पर प्राप्त भवन है।

हाँ / नहीं.....

(परिशिष्ट के अनुसार)

संलग्न करें:

- (अ) संस्था की स्वयं के नाम से पंजीकृत भवन के दस्तावेज की प्रति
(ब) यदि भवन लीज पर लीया है तो संस्था के नाम से पंजीकृत लीजडीड की प्रति
(स) भवन के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट की प्रति
(द) नवीनतम सत्र का उचित कार्यवाही पश्चात् सक्षम अधिकारी से जारी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति

नोट— (क) निरीक्षण अधिकारी ध्यान दें कि वे संस्था के भूमि भवन व अन्य सुविधाओं के छाया चित्रों तथा सी.डी बनवाकर रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(ख) निरीक्षण अधिकारी संस्था के समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित कर रिपोर्ट के साथ संलग्न करें

(VI) अनुशंषा

निरीक्षण अधिकारियों ने सभी दस्तावेजों का मूल एवं भौतिक रूप से मिलान कर लिया / नहीं है। संस्था ने 2012-13 में नवीन महाविद्यालय संचालन हेतु आवश्यक सभी मानदण्डों की पूर्ति कर ली है / नहीं की है। अतः संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंषा की जाती है / नहीं की जाती है।

निरीक्षण अधिकारी

(1) नाम..... (2) नाम..... (3) नाम.....

पद

पद

पद.....

नोट— राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भूमि तथा भवन के मापदण्ड इस प्रकार से हैं—

(अ) भूमि संबंधी निर्धारित मानदण्ड

क.सं.	स्थान	महाविद्यालय के लिए (अविवादित स्वामित्व वाली)
1	जयपुर महानगरीय क्षेत्रों में	2000 वर्गमीटर
2	अन्य सम्मार्गीय मुख्यालय क्षेत्रों में	4000 वर्गमीटर
3	जिला मुख्यालय क्षेत्रों में	5000 वर्गमीटर
4	अन्य क्षेत्रों में	8000 वर्गमीटर

भूमि से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिये—

- भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र संलग्न होना चाहिये।
- सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र
- आवेदक संस्था के नाम से पंजीकृत भूमि/सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज

4. पंजीकृत वास्तुविद्द द्वारा तैयार किया गया तथा सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा।

5. प्रस्तावित कॉलेज के लिये पंजीकृत सोसायटी / न्यास द्वारा पंजीकृत दरतावेज जिसमें प्रस्तावित कॉलेज के लिये भूमि को चिन्हित किया गया हो।

(ब) भवन संबंधी निर्धारित मानदण्ड

क.सं.	कक्ष	कक्षा	निर्धारित संख्या	निर्धारित माप
1	कक्षा कक्ष (कला संकाय हेतु)	प्रथम वर्ष	3	20*30
		द्वितीय वर्ष	2	20*30
		तृतीय वर्ष	2	20*30
		कुल	7	

क.सं.	कक्ष	कक्षा	निर्धारित संख्या	निर्धारित माप
2	कक्षा कक्ष (सांगिज्य संकाय)	प्रथम वर्ष	2	20*30
		द्वितीय वर्ष	1	20*30
		तृतीय वर्ष	1	20*30
		कुल	4	

क.सं.	कक्ष	कक्षा	निर्धारित संख्या	निर्धारित माप
3	कक्षा कक्ष (विज्ञान संकाय हेतु)	प्रथम वर्ष	3	20*30
		द्वितीय वर्ष	2	20*30
		तृतीय वर्ष	1	20*30
		कुल	6	

क.सं.	कक्ष	कक्षा	निर्धारित संख्या	निर्धारित माप
4	प्रयोगशाला	विषयवार (प्रत्येक विषय हेतु)	1	20*30

क.सं.	कक्ष	कक्षा	निर्धारित संख्या	निर्धारित माप
5	प्रशासनिक कक्ष	प्राचार्य	1	12*12
		उपाचार्य (300 से अधिक छात्रों पर)	1	20*30
		कार्यालय कक्ष	2	15*20
		भण्डार कक्ष	1	20*30

क.सं.	कक्ष	कक्षा	निर्धारित संख्या	निर्धारित माप
6	पुस्तकालय कक्ष व वाचनालय	पुस्तकालय	1	20*30
		वाचनालय	1	20*30

क.सं.	कक्ष	कक्षा	निर्धारित संख्या	निर्धारित माप
7	अन्य कक्ष	प्राध्यापक कक्ष	1	20*30
		एनसीसी	1	12*12
		एनएसएस	1	12*12
		खेल कुद	1	20*30
		गर्ल्स कॉमन रूम	1	20*30